कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा—मा/माध्य/अ—4/कृषि/संकाय—विषय/2019—20 दिनांक— 28.08.19

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान।

विषयः— विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कक्षा— 12 में कृषि विज्ञान विषय के संबंध में।
प्रसंगः— शासन का पत्रांकः प.4 (3)शिक्षा—1/2015/पार्ट दिनांक 07.08.18 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.08.18, 01.10.18 तथा समसंख्यक आदेश दिनांकः 11.12.18।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा विज्ञान वर्ग को दो वर्गों, वर्ग—"अ" तथा वर्ग—"ब" में विभाजित कर विज्ञान वर्ग में कृषि विज्ञान, कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान विषय लेने एवं उनके विकल्प क्या रहेंगे, इस संबंध में स्पष्ट किया गया था। गत सत्र 2018—19 में कुछ संस्था प्रधानों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के स्वयं के स्तर पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के बोर्ड आवेदन पत्रों में कृषि विज्ञान विषय के साथ कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान विषय भरवाए गए थे। यद्यपि यह परिवर्तन बिना सक्षम स्वीकृति के स्वयं के स्तर पर किया गया था, अतः ऐसे संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस देते हुए, विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भरे हुए कृषि विज्ञान विषय के साथ कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान विषय हेतु केवल उसी वर्ष 2018—19 के लिये इस कार्यालय के प्रासंगिक आदेश दिनांक 11.12.18 से कार्योत्तर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि **"ऐसे विद्यालयों में वर्ष 2018—19 के लिये कक्षा 12 में कृषि विज्ञान, कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान संचालन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। कक्षा 11 में पूर्व में स्वीकृत विषय ही संचालित किये जाऐगें, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोई भी विद्यालय अथवा अधीनस्थ स्तर पर बिना सक्षम स्वीकृति के कोई विषय परिवर्तन नहीं किया जावे।"**

उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि सत्र 2018—19 की कक्षा 11 में कृषि विज्ञान विषय के साथ रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान अथवा बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकल्पानुसार अन्य वैकल्पिक विशय ही संचालित रहे है, जो कि इस वर्ष 2019—20 में कक्षा 12 में परीक्षा हेतु आवेदन कर रहे हैं। फिर भी विभिन्न संस्था प्रधानों द्वारा इस बाबत् बार—बार जानकारी चाही जा रही है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि गत सत्र 2018—19 में कक्षा 11 में कृषि विज्ञान विषय के साथ संचालित विषयों, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान अथवा पूर्व से संचालित अन्य विकल्पानुसार संचालित रहे थे, वे ही विद्यार्थी कक्षा 12 में इस सत्र में बोर्ड आवेदन भर रहे है अतः वे उन्हीं विषयों हेतु ही आवेदन करेंगे।

राजस्थान विधानसभा में बजट 2019—20 के संबंध में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) महोदय द्वारा कृशि विज्ञान विषय को कृषि संकाय में परिवर्तित करने की घोषणा की गई थी। इसकी पालना में कृषि विज्ञान विषय को संकाय में बदलने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। कृषि विज्ञान विषय को संकाय में परिवर्तित करने का निर्णय होने पर कृषि विज्ञान संकाय सत्र 2019—'20 में कक्षा 11 में ही लागू होगा तथा इस सत्र 2019—20 में कक्षा—12 में पूर्व की भांति कृषि विज्ञान एक विषय के रूप में ही संचालित होगा। इस हेतु तत्समय आवश्यक आदेश/निर्देश जारी कर दिये जाएंगे। ऐसे संस्था प्रधान जो बिना किसी सक्षम स्वीकृति के स्वयं के स्तर पर विषय में परिवर्तन करेंगे अथवा बोर्ड के आवेदन भरवाऐंगे, उनके विरूद्ध आदेशों की अवहेलना के लिये नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतुः—

1 शासन उपसचिव—प्रथम, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को तद्नुसार आवेदन में व्यवस्था हेतु।
3 सहायक निदेशक, शाला दर्पण कार्यालय हाजा।
4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक।
5 सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को वैबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर